2|52

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती डॉ. प्रीति सिंह पंवार
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 130/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 कल्याण पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क नि0 डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

----------प्रार्थी

बनाम

1 राजकीय कस्तूर बा गांधी आवासीय विद्यालय, छात्रावास, डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज. जरिये प्रधानाध्यापक

2 राज़स्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

----------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –

1 श्री शोभागमल कुमावत...........प्रार्थी अधिवक्ता

2 श्री विक्रम सिंह राठोड ....विपक्षी संख्या 01 अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक – 05.09.2019

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा डाबला पटवार मण्डल डाबला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 77 के आराजी न0 1189, 1190/1, 1191/1 किता 3 रकबा 03–18 बीघा भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि बनेडा–डाबला आम रोड आराजी नम्बर 1548 से होकर कस्तूर बा गांधी विद्यालय एवं अटल सेवा केन्द्र के नजदीक निर्मित चबूतरे के बीच में से होकर विपक्षी संख्या 01 महकमा शिक्षा विभाग (राजकीय मिडिल स्कूल) के पक्ष में खातेदारी हक के आराजी संख्या 1185 मे से होकर अपनी आराजी संख्या 1190/1 व अन्य आराजीयात में आता जाता है, जो 15 फिट चौडा रास्ता बना होकर गाडी गडार बनी हुई है, प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु इसके अतिरिक्त ओर कोई रास्ता मौजूद नही है। परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से विपक्षी की खातेदारी आराजीयात ग्राम डाबला प.ह. क्षैत्र डाबला स्थित आराजी सं0 1185 में से 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उर्पयुक्त रास्ते का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराया जाना फरमावें।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है। नियत सुनवाई दिनांक 01.06.2018 पर विपक्षी संख्या 01 की और अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह राठौड द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर, मामले में एक पृथक से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से दिनांक 17.07.2018 को प्राप्त होकर रेकार्ड उपलब्ध है। जवाब के साथ प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया, जो कि प्रार्थी ने विपक्षी के प्रार्थनापत्र धारा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से मूल प्रार्थनापत्र के दोषयुक्त होना दर्शाये जाने के पश्चात प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात पत्रावली में तहसीलदार बनेडा को मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु संबधित हल्का पटवारी डाबला व भु.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में नवीन रास्ता कायमी हेतु हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत पत्र लिखा गया।

सुनवाई दिनांक 23.07.2019 पर प्रार्थी और विपक्षी क्रम 1 की और से नियुक्त विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर मूल प्रार्थनापत्र के साथ उर्पयुक्त दोना प्रार्थनापत्रों पर बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी मार्फत अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी की खातेदारी आराजीयात ग्राम डाबला प.ह. क्षैत्र डाबला स्थित आराजी सं0 1185 में से 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उर्पयुक्त रास्ते का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराया जाना फरमावें। वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कहे गये कथनों के खण्डन में तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु वहीं मौजूद आराजी संख्या 1188/1, 1188/2 के मध्य सी.सी.रोड स्थित है, जिसमें प्रार्थी बेरोक टोक आ जा सकता है किन्तु प्रार्थी ने केवल मात्र विपक्षी की आराजी संख्या 1185 से ही रास्ता चाहा है, केवल मात्र प्रार्थी ने विपक्षी की आराजीयात को छीनने की नीयत से यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी प्रार्थनापत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावा जावें।

तहसीलदार बनेडा द्वारा मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेका एंव मौके का अध्ययन कर संबधित हल्का पटवारी डाबला, भू.अ.निरीक्षक डाबला की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मामले में हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट, नजरी नक्ष मार्फत तहसीलदार बनेडा से प्राप्त की जाकर, रिकार्ड पर ली गयी।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी डाबला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा क अध्ययन किया, इससे यह स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि प्रार्थी ने ग्राम डाबला स्थित आराज संख्या 1185 रकबा 05–02 बीघा भूमि के मध्य से रास्ता चाहा है, जो कि महकमा शिक्ष विभाग (राजकीय मिडील स्कूल) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड है, त भूमि किस्म गै.मु मैदान दर्ज है। प्रार्थी अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु वहीं मौजूद आराजी

2\52

संख्या 1188/2, 1188/1 के मध्य 16.5 फिट चौडा रास्ता उपयोग में लेता चला आ रहा है, जो कि सी.सी.रोड निर्मितशुदा होकर पूर्णतया खुलासा है। प्रार्थी ने आराजी संख्या 1185 के मध्य मे से एक मात्र रास्ता होना बताया है, जो कि असत्य है। आराजी संख्या 1185 में रा.उ.मा.वि. डाबला के अन्तिम छोर पर नियमानुसार पक्की दीवार बनी हुई है।

राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे, परन्तु यहां इस मामले में प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात पर पहुंच मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसकी ताईद हल्का पटवारी डाबला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से होती है। दूसरी ओर प्रार्थी गलत एवं झूंठे तथ्य लेकर न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ है। आराजी संख्या 1185 रकबा 05–02 बीघा भूमि किस्म गै.मु.मैदान एक राजकीय संस्थान के पक्ष में दर्ज होकर छात्राओं के खेल मैदान के लिए प्रयुक्त भूमि है, जिसे प्रार्थी मध्य से विच्छेद करना चाहता है। इसमें प्रार्थी की अभिमंशा जो भी रही हो, परन्तु पहले से मौजूद 16.5 फिट चौडे रास्ते के होते हुए भी एक राजकीय विद्यालय के खेल मैदान को प्रार्थी द्वारा चाही गई दाद अनुरूप मध्य से विच्छेद करना न्यायालय उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथा हल्का पटवारी डाबला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के बारीकी से अध्ययन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट न्यायालय खारिज किये जाने योग्य मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट गलत एवं आधारहीन तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(श्रीमती डॉ प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा